चेक संग्रह करने और अस्वीकार करने संबंधी नीति

संस्करण सं. 2.0

2024-2025

ग्राहक सेवा अनुभाग
ग्राहक सेवा वर्टिकल
परिचालन विभाग
प्रधान कार्यालय
112, जे सी रोड
बेंगलूरु- 560002

वित्त वर्ष 2024-25 हेतु चेक संग्रह करने और अस्वीकार करने पर नीति
(संस्करण 2.0)

अनुक्रमणिका

1.	उद्देश्य	4
2.	संग्रह करने हेतु व्यवस्था	4
2.1	स्थानीय चेक	4
2.2	बाहरी चेक	6
2.3	स्थानीय/बाहरी चेक/ लिखतों का तत्काल क्रेडिट और विलंबित संग्रह पर ब्याज का भुगतान	6
2.4	स्थानीय/बाहरी चेकों की खरीद	7
2.5	समाशोधन स्थगन के दौरान स्थानीय चेक, ड्राफ्ट आदि की खरीद	7
3.	स्थानीय/बाहरी चेक/ लिखतों के संग्रह हेतु समय सीमा	8
4.	बाहरी चेकों के विलंबित संग्रह पर ब्याज का भुगतान	8
5.	परेषण / समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में चेक / लिखत गुम हो जाना	9
5.1	ट्रंकेटेड चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज के आधार पर भुगतान प्राप्त करना	9
6.	लौटाए गए और भुगतान किए गए चेक पर ब्याज लगाना जहां तत्काल क्रेडिट दिया गया था।	10
7.	सेवा शुल्क	11
8.	आदाता खाता चेक का संग्रह	11
9.	चेक/ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/बैंकर्स चेक का भुगतान	11
10.	बिलों के संग्रह में देरी के लिए ब्याज का भुगतान	11
11.	तकनीकी कारण से वापस किए गए चेक प्रस्तुत करने में विलंब और ऐसे वापस किए गए चेक हेतु प्रभार	12
12.	विदेश में देय चेक	12
12.1	अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के निर्बंध लिखतों का संग्रह	12
12.1.i	लिखतों के प्रकार	12
12.1.ii	अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के लिखतों के संग्रह में जोखिम का अनुमान	13
12.1.iii	अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के लिखतों हेतु बैंक द्वारा प्रस्तावित उत्पाद	13

क्र. सं.	विषयवस्तु	पृष्ठ सं.
12.2.iii.ए	दायित्व सहित नकद पत्र सेवा (सीएलएस)	13
12.2.iii.ए	दायित्व रहित अंतिम क्रेडिट सेवा (एफसीएस)	13
12.2.iv	मुआवजा	14
12.2	अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के चेकों का संग्रह	15
12.2.1	कैनेडियन डॉलर (सीएडी)	15
12.2.2	यूरो (ईयूआर)	17
12.2.3	ग्रेट ब्रिटेन पाउंड (जीबीपी)	19
12.2.4	सिंगापुर डॉलर (एसजीडी)	20
12.3	तत्काल क्रेडिट	22
13	पॉज़िटिव पे	22
14	अपरिहार्य घटना	23
	अध्याय - II	
	अपर्याप्त निधि के कारण आवक चेक/ईसीएस अधिदेश को अस्वीकार करना	
ए	उद्देश्य	24
बी	रिपोर्टिंग संरचना/आवश्यकताएँ	24
बी.1	"अपर्याप्त निधि" के कारण 1 करोड़ रुपये से कम मूल्य के आवक चेक और ईसीएस अधिदेश को अस्वीकार करना	24
बी.2	"अपर्याप्त निधि" के कारण 1 करोड़ रुपये और उससेअधिक मूल्य के चेक और स्टॉक एक्सचेंज के पक्ष मेंकिसी भी राशि के चेक को अस्वीकार करना	25
सी	उद्देश्यों को पूरा करने हेतु रणनीतियाँ	25
	अध्याय - III	
(i)	नीति में संशोधन/ आशोधन	27
(iii)	नीति के कार्यान्वयन का अनुपालन/निगरानी	27

चेक का संग्रह करने और अस्वीकार करने संबंधी नीति – 2024-25

अध्याय - I

1. उद्देश्य:

बैंक की चेक संग्रहण नीति हमारे ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने तथा निष्पादन हेतु उच्च मानक स्थापित करने के हमारे निरंतर प्रयासों का प्रतिफल है। यह नीति पारदर्शिता के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें ग्राहकों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता और प्रतिनिधियों के माध्यम से संग्रह के लिए समाशोधन व्यवस्था और अन्य आंतरिक व्यवस्थाओं हेतु अपनाई गई तकनीकी क्षमताओं, प्रणालियों और प्रक्रिया को ध्यान में रखा गया है। इस नीतिगत दस्तावेज़ में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:

2. संग्रह करने हेतु व्यवस्था:
(रिकंसिलिएशन वर्टिकल, परिचालन विभाग द्वारा निगरानी)

***2.1* स्थानीय चेक**:

[ए] स्थानीय स्तर पर देय सभी चेक और अन्य परक्राम्य लिखत केंद्र में प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। निर्दिष्ट समय सीमा से पहले शाखा काउंटरों पर जमा किए गए चेक, डाक, कूरियर द्वारा तथा शाखा के भीतर संग्रह बॉक्स में प्राप्त चेक उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। ग्राहक काउंटर पर भी चेक जमा कर सकते हैं और जमा पर्ची पर पावती प्राप्त कर सकते हैं। निर्दिष्ट समय सीमा के बाद और ऑफसाइट एटीएम सहित शाखा के बाहर संग्रह बॉक्स में जमा चेक अगले समाशोधन चक्र में प्रस्तुत किए जाएंगे। समाशोधन निपटान होने के बाद अगले दिन बैंक ग्राहक के खाते में क्रेडिट करेगा। ऐसी क्रेडिट की गई राशि की निकासी के बारे में अनुमति संबंधित समाशोधन गृह के चेक वापसी अनुसूची के अनुसार दी जाएगी और जहां भी लागू हो, ग्राहकों को अत्याधिक मूल्य वाले समाशोधन (उसी दिन क्रेडिट) की सुविधा प्रदान की जाएगी।

[बी] जहां कोई समाशोधन गृह मौजूद नहीं है, ऐसे केंद्रों पर स्थित बैंक शाखाएं, काउंटर पर अदाकर्ता बैंक पर स्थानीय चेक प्रस्तुत करेंगे और बैंक का प्रयास होगा कि जितनी जल्दी हो सके आगम की राशि जमा की जाए।

[सी] हमारी बैंक शाखाएँ उस निर्दिष्ट समय सीमा को प्रदर्शित करेंगी जिस समय सीमा तक प्राप्त चेक उसी दिन समाशोधन के लिए भेज दिए जाएंगे, जिसमें शाखा के भीतर उपलब्ध चेक संग्रह बॉक्स में डाले गए चेक भी शामिल होंगे।

[डी] चूंकि संग्रह हेतु चेक स्वीकार करने की निर्दिष्ट समय सीमा संबंधित केंद्र के समाशोधन चक्र पर निर्भर करती है, इसलिए प्रत्येक केंद्र पर निर्दिष्ट समय सीमा उस स्थान पर समाशोधन व्यवस्था के आधार पर तय की जाएगी और उस निर्दिष्ट समय सीमा को शाखाओं में भी प्रदर्शित किया जाएगा।

[ई] बैंक संबंधित वापसी समाशोधन बंद होने के तुरंत बाद ग्राहकों के खाते में आभासी क्रेडिट की अनुमति देगा तथा किसी भी मामले में, उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस पर कारोबार समय शुरू होने के एक घंटे के भीतर सामान्य सुरक्षा उपायों के अधीन निकासी की अनुमति दी जाएगी।

Confidential

[एफ] सीबीएस सक्षम बैंकों द्वारा सभी शाखाओं में बहु-नगरीय /देय चेक जारी करना : देश भर में सभी समाशोधन स्थानों पर बाहरी चेकों के समाशोधन हेतु प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और चेक समाशोधन में और अधिक दक्षता लाने के लिए, बैंक सभी पात्र ग्राहकों को केवल "सममूल्य पर देय/बहु-नगरीय" सीटीएस 2010 मानक चेक जारी करेगा क्योंकि ऐसे चेक (सममूल्य पर देय) समाशोधन गृहों में स्थानीय चेक के रूप में निपटाये जाते हैं, इसके लिए ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

[जी] चेक वापसी शुल्क केवल उन मामलों में लगाया जाएगा जहां ग्राहक की ओर से चूक हुई है और वह चेक वापसी के लिए जिम्मेदार है। जिन चेक वापसी में ग्राहकों की कोई गलती नहीं है, उनकी उदाहरणात्मक सूची नीचे दी गई है:

<u>आपत्तियों की उदाहरणात्मक सूची जहां ग्राहकों की गलती नहीं है:</u>

कोड सं.	वापसी का कारण
11	खाते को परिचालित करने हेतु आहर्ता के हस्ताक्षर/ प्राधिकार प्राप्त नहीं है
31	लिखत कटा-फटा होने की स्थिति मे, बैंक गारंटी की आवश्यकता है
33	एन्कोडिंग/लिस्टिंग त्रुटि है
34	समाशोधन गृह की मोहर/तिथि आवश्यक है
35	गलत तरीके से सुपुर्दगी किया गया है /हम पर आहरित नहीं है
36	समुचित क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया है
37	लिखत में बाह्य सामग्री समाविष्ट हैं
52	खाते का शीर्षक आवश्यक / खाते का शीर्षक गलत / अधूरा है
60	दो बैंकों के लिए रेखित किया गया है
61	रेखन / समाशोधन स्टाम्प निरस्त नहीं किया गया है
62	लिखत विशेष रूप से --------------- के लिए रेखित किया गया
64	आदाता का पृष्ठांकन आवश्यक / अनियमित है / वसूलीकर्ता बैंक की पुष्टि आवश्यकहै
65	निशान/अंगूठे के निशान द्वारा पृष्ठांकन हेतु आहर्ता /मजिस्ट्रेट के मुहर के साथ सत्यापन आवश्यक है
70	सूचना प्राप्त नहीं हुई है / सूचना में राशि/नाम भिन्न है
71	प्रायोजक बैंक के पास अदाकर्ता बैंक का निधि अपर्याप्त है
72	आदाता का बैंक को अलग से भुगतान आवश्यक है
73	प्रथम प्रोक्सिमो तक देय नहीं
74	भुगतान आदेश/चेक पर प्रतिहस्ताक्षर आवश्यकहै
80	बैंक का प्रमाणपत्र अस्पष्ट/अपूर्ण/आवश्यक है
81	ड्राफ्ट जारीकर्ता कार्यालय द्वारा गुम हो गया, जारीकर्ता कार्यालय से पुष्टि
82	'आदाता के खाते में जमा किया गया' - स्टाम्प आवश्यक है
84	अन्य कारण:______________________

[एच] भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार केवल सीटीएस 2010 अनुरूप वाले लिखत ही सीटीएस के माध्यम से समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सीटीएस ग्रिड केंद्रों में अलग-अलग गैर-सीटीएस समाशोधन सत्र 31 दिसंबर, 2018 से बंद कर दिए गए है ।

Confidential

2.2 बाहरी चेक:

बाहरी केंद्रों पर अन्य बैंकों पर आहरित चेक आम तौर पर इन केंद्रों पर हमारे बैंक की शाखाओं/कार्यालयों के माध्यम से संग्रहित किए जाएंगे। जहां हमारे बैंक की कोई शाखा नहीं है, वहां लिखतों को अधिमानतः उस स्थान पर अदाकर्ता बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से संग्रह किया जाएगा, और यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की कोई शाखा नहीं है, तो किसी अनुसूचित बैंक के माध्यम से या उस स्थान पर किसी बैंक की शाखाके माध्यम से संग्रह किया जाएगा। उपर्युक्त के अभाव में, चेक सीधे अदाकर्ता बैंक को भेजा जाएगा।बैंक उन केंद्रों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली राष्ट्रीय समाशोधन सेवा का भी उपयोग करेगा जहां ऐसी संग्रह सेवाएं मौजूद हैं।

बाहरी केंद्रों पर हमारे बैंक की शाखाओं पर आहरित चेक का संग्रहण बैंक की प्रचलित अंतर-शाखा व्यवस्था के अंतर्गत की जाएगी। केंद्रीय प्रसंस्करण व्यवस्था के माध्यम से जुड़ी शाखाएं और अपने ग्राहकों को कहीं भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाएं, सीबीएस नेटवर्क की अपनी किसी भी शाखा पर आहरित बाहरी लिखतों कोउसी दिन क्रेडिट प्रदान करेगी।

बैंक की अपनी कोर बैंकिंग शाखाओं के बीच आहरित चेक के संबंध में प्राप्त चेक को उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा, बशर्ते शाखाओं के बीच कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। अन्य बैंकों के मामले में जहां कोर बैंकिंग सक्षम है, उसकी सभी कोर बैंकिंग शाखाओं के सममूल्य पर भुगतान की शर्त वाले चेक उक्त बैंक की स्थानीय शाखा / समाशोधन अनुभाग में प्रस्तुत किए जाएंगे, अन्यथा चेक को उल्लिखित अदाकर्ता बैंक शाखा को संग्रह के लिए भेजा जाएगा।

2.3 स्थानीय/बाहरी चेक/लिखतों का तत्काल क्रेडिट और विलंबित संग्रहण पर ब्याज का भुगतान:

इस सुविधा का विवरण निम्नानुसार है;

1.पात्र व्यक्ति:

व्यक्ति/संयुक्त बचत / चालू खाता धारक और हमारे बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी बशर्ते -

i. खाता केवाईसी मानदंडों का अनुपालन करता हो।
ii. खाते का संचालन कम से कम 6 माह तक संतोषजनक हो।
iii. बैंक ने खाते में कोई अनियमित संव्यवहार नहीं देखा हो।
iv. कोई भी चेक/लिखत जिसके लिए तत्काल क्रेडिट की व्यवस्था की गई थी, जो वित्तीय कारणों से बिना भुगतान के वापस नहीं किया गया हो।
v. बैंक को पिछले किसी भी अग्रिम की वसूली में कोई कठिनाई नहीं हुई है, जिसमें तत्काल क्रेडिट के बाद वापस किए गए चेक भी शामिल हैं।

2. अपात्र व्यक्ति:

i. अवयस्कों का खाता चाहे व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से या स्वाभाविक संरक्षक द्वारा संचालित हो।
ii. अनिवासी भारतीय ।
iii. हमारे बैंक के कर्मचारी (अधिकारी और कर्मचारी दोनों)।

3. अपात्र लिखत:

सेल्फ चेक, पृष्ठांकित चेक और एक्सचेंज कंपनी चेक ।

4. पात्र राशि:

i. खाताधारक के किसी विशेष अनुरोध के बिना सभी पात्र खाताधारकों को बाहरी चेक के संबंध में रु. 15000/- से अधिक नहीं है।

Confidential

ii. स्थानीय चेक के संबंध में रु. 15000/- का तत्काल क्रेडिट विशेष अनुरोध पर केवल पात्र खाताधारकों को ही प्रदान किया जाएगा।

सभी पात्र खाताधारकों को लाभांश वारंट/ब्याज वारंट के मामले में तत्काल क्रेडिट प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि वे बैंकों पर आहरित हों और बिना किसी पूर्व शर्त के मांग पर देय हो।

नियम व शर्तें:

i. स्थानीय चेकों के संबंध में **15000/-** रुपए की तत्काल राशि केवल विशिष्ट अनुरोध पर पात्र खाताधारकों को ही प्रदान की जाएगी। तत्काल क्रेडिट प्रति पात्र खाताधारक 15000/- रुपये तक ही दी जा सकती है। यदि पात्र खाताधारक को पहले से ही 15000/- रुपये (अर्थात अधिकतम स्वीकार्य राशि) से कम राशि की सुविधा प्रदान की जा चुकी है, तो शाखा 15000/- रुपये की कुल सीमा के भीतर फिर क्रेडिट देने पर विचार करेगी। किसी भी समय तत्काल क्रेडिट की राशि प्रति पात्र खाताधारक 15000/- रुपये से अधिक नहीं होगी ।

ii. 15000/- रुपये से अधिक की राशि के व्यक्तिगत चेक/लाभांश वारंट/ब्याज वारंट (स्थानीय और बाहरी दोनों) तत्काल क्रेडिट योजना के तहत पात्र नहीं हैं।

iii. सभी शाखाओं में सुविधा प्रदान की जाएगी।

iv. यदि चेक अदत्त वापस किया जाता है, तो ऐसे चेक की वापसी की तारीख से उसकी राशि की वसूली तक ब्याज लगाया जाएगा। ब्याज की दर निम्नानुसार होगी:

वैसे पक्षकार जिन्हें इस प्रकार की तत्काल क्रेडिट सुविधा दी गई है -

1. अन्य सीमाओं/देयताओं का लाभ उठाया है/ को रखा है	अनुमत अन्य सीमाओं/देयताओं /बकाया को विधिवत समेकित करते हुए सीमा की मात्रा का निर्धारण करने के बाद समुचित ब्याज दर।
2. कोई अन्य सीमा/देयता का लाभ नहीं उठाया है	समय-समय पर सूचित किए अनुसार रु. 2 लाख तक के ऋण/अग्रिम पर लागू ब्याज दर।

v. उचित कमीशन और वास्तविक डाक शुल्क वसूला जाएगा।

2.4 स्थानीय/बाहरी चेकों की खरीद:

बैंक अपने विवेक से, ग्राहक के विशेष अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार संग्रहण हेतु प्रस्तुत स्थानीय/बाहरी चेक खरीद सकता है। खाते के संतोषजनक परिचालन के अतिरिक्त, चेक खरीदते समय चेक अदाकर्ता की स्थिति पर भी विचार किया जाएगा।

2.5 समाशोधन स्थगन के दौरान स्थानीय चेक, ड्राफ्ट आदि की खरीद:

ऐसा भी हो सकता है जब संबंधित प्राधिकारियों के नियंत्रण से परे कुछ कारणों से समाशोधन गृह का परिचालन अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ सकता है। ऐसे समाशोधन स्थगित होने से बैंकों के ग्राहकों को कठिनाई होती है क्योंकि वे जिन स्थानीय बैंकों में अपने खाते रखते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य स्थानीय बैंकों पर आहरित चेक, ड्राफ्ट आदि की आगम को तत्काल वसूलने में असमर्थ होते हैं। ऐसी आकस्मिकताओं के दौरान, जहां तक संभव हो, बैंकों के ग्राहकों की असुविधा और कठिनाई को कम करने के साथ-साथ अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करने हेतु कुछ उपचारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

Confidential

इस प्रकार, जब भी समाशोधन स्थगन कर दिया जाता है और इस प्रकार के स्थगन से यह आशंका महसूस होती है कि यह स्थगन लंबी अवधि तक हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक अपने ग्राहकों, उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं दोनों को अस्थायी रूप से, जहां तक संभव हो, स्थानीय चेक, ड्राफ्ट आदि खरीदकर, उनके खातों में संग्रह हेतु जमा कर सकते हैं। इस संबंध में, सरकारी विभागों/अच्छी साख एवं प्रतिष्ठा वाली कंपनियों द्वारा आहरित चेक और स्थानीय बैंकों से आहरित डिमांड ड्राफ्ट के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाना है। यह सुविधा प्रदान करते समय, बैंक निस्संदेह साख, ईमानदारी, ग्राहकों के पिछले संव्यवहार और कारोबार जैसे कारकों को ध्यान में रखेंगे, ताकि बाद में ऐसे लिखतों के अस्वीकृत होने की किसी भी संभावना से स्वयं को बचाया जा सके।

3. स्थानीय/बाहरी चेक/लिखतों के संग्रह हेतु समय सीमा: -

3.1) समाशोधन में प्रस्तुत किए गए स्थानीय चेक हेतु, समाशोधन में धनराशि के निपटान की तारीख के अनुसार क्रेडिट किया जाएगा और खाताधारक को उस केंद्र में प्रचलित समाशोधन मानदंडों के अनुसार धनराशि आहरण की अनुमति दी जाएगी।

3.2) अत्यधिक मूल्यवाले समाशोधन में (न्यूनतम 1 लाख रुपये के मूल्यवाले) प्रस्तुत किए गए चेक / लिखत उसी दिन क्रेडिट किए जाएंगे (केवल अत्यधिक मूल्यवाले / उसी दिन समाशोधन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू) ।

3.3) देश के भीतर केंद्रों पर संग्रहण हेतु भेजे गए चेक और अन्य लिखतों के लिए निम्नलिखित समय सीमा लागू की जाएगी।

ए) किसी भी राज्य की राजधानियों में प्रस्तुत चेक, अधिकतम अवधि 7 दिन।

बी) प्रमुख शहरों में अधिकतम अवधि 10 दिन।

सी) अन्य सभी केन्द्रों में अधिकतम अवधि 14 दिन।

चाहे चेक/लिखत बैंक की अपनी शाखाओं या अन्य बैंकों की शाखाओं पर आहरित किए गए हो, तब भी उपर्युक्त समय मानदंड लागू होते हैं ।

4. बाहरी चेक के विलंबित संग्रह पर ब्याज का भुगतान:

बैंक की मुआवजा नीति के एक भाग के रूप में, उपर्युक्त समय सीमा से परे क्रेडिट करने में विलंब होने पर बैंक संग्रह लिखतों की राशि पर ग्राहकों को ब्याज का भुगतान करेगा। इस तरह के ब्याज का भुगतान सभी प्रकार के खातों में ग्राहकों से बिना किसी मांग के किया जाएगा। विलंबित संग्रह पर ब्याज के भुगतान के उद्देश्य से बैंक की अपनी शाखाओं या अन्य बैंकों से आहरित लिखतों के बीच कोई अंतर नहीं होगा।

विलंबित संग्रह हेतु ब्याज का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा:

ए) बाहरी चेकों के संग्रह में 7/10/14 दिनों से अधिक के विलंब हेतु संबंधित अवधि के लिए सावधि जमा दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

बी) असाधारण विलंब अर्थात 90 दिनों से अधिक के विलंब के मामले में, संबंधित अवधि के लिए सावधि जमा दर से 2% अधिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

सी) यदि संग्रह के तहत चेक की आगम ग्राहक के ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में क्रेडिट की जानी थी, तो ऋण खाते हेतु लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। असाधारण विलंब हेतु, ऋण खाते के लिए लागू दर से 2% अधिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

डी) स्थानीय चेक की वसूली में विलंब के मामले में, विलंब की अवधि हेतु बचत बैंक ब्याज दर के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

नोट:1. उपरोक्तानुसार ब्याज भुगतान केवल भारत के भीतर संग्रह हेतु विप्रेषित लिखतों पर लागू होगा।

2.बाहरी लिखतों के संग्रह में विलंब के लिए ब्याज का भुगतान गैर-परक्राम्य लिखतों जैसे पुरस्कार विजेता लॉटरी टिकट और अन्य बैंकों की परिपक्व जमा रसीदें आदिपर लागू नहीं होता है।

5. परेषण / समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में चेक / लिखत गुम हो जाना:

ऐसे मामलों में जहां चेक/लिखत परेषण /समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खो जाता है, बैंक ग्राहकों को चेक जारीकर्ता से डुप्लिकेट लिखत प्राप्त करने हेतु सभी सहायता प्रदान करेगा। बैंक की मुआवजा नीति के अनुरूप, बैंक निम्नलिखित तरीके से परेषण में गुम हुए लिखतों के संबंध में खाताधारक को मुआवजा देना देगा:

ए. यदि लिखत गुम हो जाने की सूचना ग्राहक को संग्रह के लिए निर्धारित समय सीमा (जैसा भी मामला हो 7/10/14 दिन) से परे दी जाती है, तो निर्धारित संग्रह समयावधि से अधिक की अवधि हेतु बचत बैंक ब्याज दर के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

बी. इसके अतिरिक्त, बैंक डुप्लिकेट चेक/ लिखत प्राप्त करने और उसके संग्रह में संभावित विलंब के लिए बचत बैंक दर के अनुसार 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि हेतु चेक की राशि के लिए ब्याज का भुगतान करेगा।

सी. परेषण या समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में गुम हुए चेक के संबंध में, बैंक को चाहिए कि वे तुरंत इसे खाताधारक के ध्यान में लाए ताकि खाताधारक भुगतान रोकने हेतु आहर्ता को सूचित कर सके और यह भी ध्यान रखें कि गुम हुए चेक/लिखतों की राशि क्रेडिट न होने के कारण उसके द्वारा जारी किए गए अन्य चेक अस्वीकार न हो।

डी. इस तरह के नुकसान की जिम्मेदारी संग्रहणकर्ता बैंकर की होती है, खाताधारक की नहीं।

ई. बैंक ग्राहक को रसीद प्रस्तुत करने पर डुप्लीकेट चेक/लिखत प्राप्त करने में होने वाले किसी भी उचित शुल्क का मुआवजा देगा, यदि यह लिखत किसी ऐसे बैंक/संस्था से प्राप्त किया जाना है जो डुप्लीकेट लिखत जारी करने के लिए शुल्क लेता है और साथ ही चेक का भुगतान रोकने हेतु उचित शुल्क लगाया गया है । बैंक डुप्लिकेट लिखत प्राप्त करने हेतु खाताधारक से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा और इसे प्राप्त करने में समुचित विलंब के लिए बचत बैंक ब्याज दर के अनुसार ब्याज भी देगा।

एफ. यदि चेक/लिखत भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में गुम गया है, तो संग्रहकर्ता बैंकर को भुगतानकर्ता बैंकर से चेक/लिखत की हानि के लिए ग्राहक को प्रतिपूर्ति की गई राशि वसूल करने का अधिकार होगा।

5.1: ट्रंकेटेड चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज के आधार पर भुगतान प्राप्त करना:

चेक ट्रंकेशन आहर्ता द्वारा अदाकर्ता शाखा को जारी किए गए भौतिक चेक के प्रवाह को समाप्त करने की प्रक्रिया है। भौतिक चेक को ट्रंकेट किया जाएगा और प्रसंस्करण हेतु चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज कैप्चर कर ली जाएगी। भौतिक चेक प्रस्तुतकर्ता बैंक में ही रखे जाते हैं। डेटा के साथ कैप्चर की गई इमेज का बैंकों में आदान-प्रदान किया जाता है।

चेक ट्रंकेशन की विधिक स्थिति परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में परक्राम्य लिखत (संशोधन और विविध प्रावधान) अधिनियम, 2002 के आधार पर किए गए संशोधनों से प्राप्त हुई है। चेक के ट्रंकेट किए गए इमेज की वैधता को शामिल करने हेतु अन्य के अलावा एनआई अधिनियम,1881 की धारा 6,64,81,89 और 131 में उपयुक्त संशोधन किए गए है। हम धारा 131 में किए गए संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें मौजूदा स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण II के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है और निम्नलिखित स्पष्टीकरण शामिल किया गया है:

बैंकर का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने पास रखे गए ट्रंकेटेड चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज के आधार पर भुगतान प्राप्त करे, ट्रंकेट किए गए चेक की प्रथम दृष्टया वास्तविकता को सत्यापित करे और लिखत पर दृश्यमान किसी भी धोखाधड़ी, जालसाजी या छेड़छाड़ को सत्यापित करे,जिसे समुचित सावधानी और सामान्य देखभाल से सत्यापित किया जा सकता है।

उपर्युक्त संशोधन के मद्देनजर, प्रस्तुतकर्ता बैंक समुचित सावधानी बरतने की जिम्मेदारी लेता है। सीटीएस स्कैनिंग सेंटर को चेक भेजते समय शाखाओंको चाहिए कि वे निम्नलिखित को कार्यों को सुनिश्चित करें:

ए) सभी लिखतों हेतु समुचित सावधानी बरतना
बी) लिखतों के प्रत्यक्ष स्वरूप की जांच करना
सी) अल्ट्रा वायलेट लैंप (यूवीएल) के तहत सत्यापन सुनिश्चित करना
डी) महत्वपूर्ण परिवर्तन हेतु चेक की जांच करना
ई) लिखतों की वास्तविकता और वैधता सुनिश्चित करना
एफ) यह सुनिश्चित करना कि जमा पर्ची सही खाता संख्या और नाम के साथ ठीक से भरी हुई है

स्कैनिंग सेंटर को चाहिए की वह लिखतों को स्कैन करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को भी सुनिश्चित करें

i. लिखतों के प्रत्यक्ष स्वरूप और वास्तविकता की जांच करना
ii. यूवी लैंप के तहत लिखतों का सत्यापन सुनिश्चित करना
iii. यह सुनिश्चित करना कि लिखत सीटीएस 2010 मानक की विशेषताओं की पुष्टि करता है
iv. यह सुनिश्चित करना कि लिखत का भौतिक अनुभूति चेक के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य कागजी मानक को पूरा करता है
v. यह सुनिश्चित करना कि खुली आंखों से देखने पर कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है

6. **अदत्त वापस किए गए चेक हेतु ब्याज वसूलना जहां तत्काल क्रेडिट दिया गया था**:

तत्काल क्रेडिट किए जाने के लिए संग्रह हेतु भेजा गया चेक यदि अदत्त वापस कर दिया जाता है, तो वैसे चेक का मूल्य तुरंत खाते से डेबिट कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में जब तक धनराशि की निकासी के कारण बैंक के पास धनराशि उपलब्ध न हो जाए तब तक ग्राहक को तत्काल क्रेडिट दिए जाने की तारीख से लेकर लिखत की वापसी की तारीख तक कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा। ब्याज शुरुआत में क्रेडिट नहीं दिए जाने की स्थिति में (जहां लागू हो,) खाते में अनुमानित अधि-आहरित शेष पर लगाया जाएगा।

यदि चेक का आगम बचत बैंक खाते में जमा किया गया और उसे आहरित नहीं किया गया, तो जमा की गई राशि हेतु चेक अदत्त वापस किए जाने पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि आगम ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा किया गया हो, तो चेक/लिखत बैंक के पास निधि उपलब्ध नहीं होने के कारण अदत्त वापस होने की स्थिति पर क्रेडिट की तारीख से प्रविष्टि रिवर्स करने की तारीख तक ओवरड्राफ्ट/ऋण पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक की दर से ब्याज वसूला जाएगा।

7. **सेवा शुल्क**:

बैंक द्वारा संग्रहण सेवाओं के संबंध में समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किए गए उचित सेवा प्रभार वसूल की जाएगी।

8. **आदाता खाता चेक का संग्रह**:

'आदाता खाता' चेक के आगम को परक्राम्य लिखतों (अन्य पार्टी के खाते) में नामित आदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में क्रेडिट करना निषिद्ध है। तथापि, सहकारी समितियाँ समाशोधन गृहों की उप-सदस्य भी नहीं हैं, ऐसी सहकारी समितियों के खाताधारक जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है, उन्हें अपने नाम पर आहरित आदाता खाता चेक के संग्रह में कठिनाई होती है।सहकारी समितियों के खाताधारकों को आदाता खाता लिखतों के संग्रह में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, बैंक सहकारी समितियों के खाताधारकों के खाते में रु. 50,000/- से कम धनराशि का आदाता खाता चेक का संग्रह करेगा, यदि ऐसे चेक के आदाता ऐसी सहकारी समितियों के सदस्य हैं।इस प्रयोजन के लिए, सहकारी समितियों को लिखित रूप में स्पष्ट अभ्यावेदन देना चाहिए कि, चेक के आगम की वसूली होने पर, इसे केवल सहकारी समितियों के सदस्य के खाते में जमा किया जाएगा, जो लिखत में नामित आदाता है। बैंक ऐसी सहकारी ऋण समितियों के संबंध में समुचित सावधानी बरतेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों के केवाईसी दस्तावेज़ समिति के रिकॉर्ड में संरक्षित हैं तथा संवीक्षा हेतु बैंक को उपलब्ध होते हैं। उपर्युक्त निर्देश ड्राफ्ट, भुगतान आदेश और बैंकर्स चेक के लिए भी लागू किए जाएंगे।

लिखत के वास्तविक मालिक द्वारा किसी भी दावे की स्थिति में, लिखत के वास्तविक मालिक का अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है और ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा यह सुनिश्चित की जाएगी कि चेक संग्रह करते समय ऐसी कार्रवाई लापरवाही नहीं की गई हो।

9. **चेक/ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश /बैंकर्स चेक का भुगतान**

चेक/ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश /बैंकर्स चेक लिखत की तिथि के तीन महीने की अवधि के बाद प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में, बैंक द्वारा उस तारीख को या बाद की तारीख वाले चेक/ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश /बैंकर्स चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक इन निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेगा और दिनांक 01.04.2012 को या उसके बाद जारी किए गए चेक, ड्राफ्ट, भुगतान आदेश और बैंकर चेक पर मुद्रित कर या मुहर लगाकर, लिखत की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुति के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करके ऐसे लिखतों के धारकों को प्रथा में बदलाव के बारे में सूचित करेगा।

10. **बिलों के संग्रह में विलंब हेतु ब्याज का भुगतान**:

जमाकर्ता का बैंक बिल संग्रह के संबंध में विलंबित अवधि के लिए जमाकर्ता को बचत बैंक खातों की शेष धनराशि पर देय ब्याज दर से 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। विलंबित अवधि की गणना सामान्य परेषण अवधि के लिए 2 दिनों की समय सीमा के आधार पर की जाएगी (i) बिलों का प्रेषण; (ii) अदाकर्ता के बिलों की प्रस्तुति (iii) जमाकर्ता के बैंक को आगम का प्रेषण (iv) अदाकर्ता के खाते में आगम क्रेडिट करना।

जिस सीमा तक विलंब के लिए अदाकर्ता के बैंक को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जमाकर्ता का बैंक उस बैंक से विलंब हेतु ब्याज की वसूली कर सकता है।

Confidential

11. तकनीकी कारण से वापस किए गए चेक की पुनः प्रस्तुति में विलंब और ऐसी वापसी के लिए शुल्क लगाना:

बैंक केवल उन मामलों में चेक वापसी हेतु शुल्क लगाएगा जहां ग्राहक की गलती है और वह ऐसे वापसी के लिए जिम्मेदार है। जहां ग्राहकों की कोई गलती नहीं है, वहां आदाता के किसी भी दायित्व के बिना चेक को पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और इस तरह की प्रस्तुति ग्राहकों को उचित सूचना जैसे एसएमएस अलर्ट, ईमेल आदि के माध्यम से ऐसी सूचना देकर 24 घंटे में (अवकाश को छोड़कर) तत्काल अगली प्रस्तुति समाशोधन में किया जाना चाहिए।

12. विदेश में देय चेक:

(एकीकृत कोष विभाग द्वारा निगरानी)

विदेशों में आहरित चेक "सर्वोत्तम प्रयासों" के आधार पर संग्रहण हेतु स्वीकार किए जाते हैं। बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विदेशी मुद्रा में आहरित और भारत के बाहर देय लिखतों को सबसे तेज और सबसे कुशल तरीके से संग्रहण किया जाए।

विदेशी केंद्रों जहां बैंक की शाखाएं संचालित होती हैं पर देय चेक, उस कार्यालय के माध्यम से संग्रह किए जाएंगे। प्रतिनिधि बैंकों की सेवाओं का उपयोग उन देशों/केंद्रों में किया जाएगा जहां प्रतिनिधि बैंक उपस्थित है। विदेशी बैंकों के उन केंद्रों पर आहरित चेक, जहां बैंक या उसके प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं है, सीधे आहर्ता बैंक को भेजे जाएंगे, जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि संबंधित देशों पर लागू विराम अवधि को ध्यान में रखते हुए किसी एक प्रतिनिधि बैंक में अनुरक्षित बैंक के संबंधित नोस्ट्रो खाते में आगम क्रेडिट किया जाए।

12.1 अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के निर्बंध लिखतों का संग्रह:

भारतीय रुपये के अलावा अन्य मुद्राओं जैसे यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, अमेरिकी डॉलर, येन इत्यादि मूल्यवर्ग वाले निर्बंध लिखतों को विदेशी मुद्रा चेक/निर्बंध लिखत कहा जाता है। चूंकि ऐसे लिखत भारत में देय नहीं हैं, इसलिए, उन्हें आगम की वसूली हेतु संबंधित देश में भेजा जाना आवश्यक है। लिखतों के संग्रह और वापसी के लिए समय मानदंड अलग-अलग देशों और देश के भीतर अलग-अलग स्थानों पर भिन्न-भिन्न होते हैं।

विदेशी केंद्रों पर देय निर्बंध लिखत /चेक जहां हमारे बैंक की शाखा परिचालन में (या किसी अनुषंगी के माध्यम से बैंकिंग संचालन, आदि) है, आम तौर पर उस कार्यालय/शाखा के माध्यम से ही संग्रह किए जाएंगे। प्रतिनिधि बैंकों की सेवाओं का उपयोग उन देशों/केंद्रों में किया जाएगा जहां प्रतिनिधि बैंक उपस्थित है। विदेशी बैंकों पर आहरित चेक,जिन केंद्रों पर बैंक या उसके प्रतिनिधियों की उपस्थिति नहीं है, वहां सीधे आहर्ता बैंक को भेजे जाएंगे, जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि किसी एक प्रतिनिधि बैंक में अनुरक्षित बैंक के नोस्ट्रो खाते में आगम क्रेडिट किया जाए।

अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के और संयुक्त राज्य अमेरिका में देय निर्बंध लिखतों को आम तौर पर अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के चेक/ लिखत के रूप में जाना जाता है।

i. लिखतों के प्रकार:

विदेश में देय निर्बंध लिखत जैसे व्यक्तिगत चेक, डिमांड ड्राफ्ट, कैशियर ऑर्डर, भुगतान आदेश, बैंकर्स चेक, अंतरराष्ट्रीय मनी ऑर्डर या ऐसे कोई भी अन्य लिखत, आगम संग्रहण के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

Confidential

ii. **अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के लिखतों के संग्रह में जोखिम का अनुमान**:
अमेरिकी कानून के अनुसार, तात्विक रूप से परिवर्तित चेक जहां लाभार्थी का नाम बदल दिया गया है और/या चेक की धनराशि बदल दी गई है या किसी भी लिखत के सामने वाले भाग पर धोखाधड़ी युक्त परिवर्तन किए गए है, ऐसे लिखत को पहले प्रस्तुत किए गए चेक के गलत भुगतान के लिए बारह महीने के भीतर वापस किया जा सकता है।

इसी प्रकार, किसी भी लिखत (धोखाधड़ीपूर्ण पृष्ठांकन) के पीछे धोखाधड़ी के कारण, ऐसे लिखत के पहले किए गए भुगतान की तारीख से तीन वर्ष के भीतर वापस किया जा सकता है।

ऐसे मामलों में प्रतिनिधि बैंक अनिवार्य रूप से हमसे धनराशि का दावा करता है और नोस्ट्रो खाते से डेबिट करता है। इसलिए, ग्राहक के खाते में क्रेडिट किए गए निर्बंध लिखतों की आगम लिखतों की वापसी के मामले में डेबिट करने के अधिकार के अधीन है।

iii. **अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के लिखतों हेतु बैंक द्वारा प्रस्तावित उत्पाद**:
अमेरिकी डॉलर में आहरित और संयुक्त राज्य अमेरिका में देय चेक केवल वेल्स फार्गो बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका के साथ व्यवस्था के तहत संग्रह के लिए पात्र हैं। अमेरिकी डॉलर में आहरित और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर देय चेक को संग्रह के लिए सीधे आहर्ता बैंक को भेजना होगा और ऐसे मामलों में संग्रह की समय अवधि 45 से 60 दिनों तक होती है।

ए. दायित्व सहित नकद पत्र सेवा (सीएलएस) :

नकद पत्र सेवा दायित्व सहित सामान्य चेक संग्रह सेवा है जिसमें बैंक हमारे नोस्ट्रो खाते में चेक धनराशि क्रेडिट करेगा। तथापि, यदि परवर्ती तारीख में लिखत धोखाधड़ी युक्त पाया जाता है, तो हमें परवर्ती तारीख में हमारे नोस्ट्रो खाते से डेबिट करने का अधिकार होगा।

चेक स्कैन किए जाते हैं और इमेजेस एन्क्रिप्टेड प्रारूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंक ऑफ अमेरिका और वेल्स फार्गो बैंक को ऑनलाइन भेजी जाती हैं। स्थानीय समाशोधन प्रणाली में इसकी निकासी के पश्चात, धनराशि उनके साथ अनुरक्षित हमारे नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट की जाएगी। हमारे नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट की तारीख से 21 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के पश्चात, दिए गए अनुदेशों के अनुसार धनराशि खाताधारक के खाते में क्रेडिट की जा सकती है।

यह प्रस्तावित है कि इस व्यवस्था के तहत केवल 2,000 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य के चेक संसाधित किए जाएंगे।

दायित्व सहित नकद पत्र सेवा के तहत (2,000 अमेरिकी डॉलर तक) चेक समाशोधन हेतु शुल्क 6 अमेरिकी डॉलर प्रति लिखत है।

बी. दायित्व रहित अंतिम क्रेडिट सेवा (एफसीएस):

केवल वेल्स फ़ार्गो बैंक अंतिम क्रेडिट सेवा (दायित्व रहित) प्रदान करता है, जिसमें भौतिक चेक वेल्स फ़ार्गो बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजा जाता है। व्यवस्था के तहत, चेक का आगम या तो हमारे नोस्ट्रो खाते (अंतिम क्रेडिट) में क्रेडिट किया जाएगा या अदाकर्ता बैंक के स्थान के आधार पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर भुगतान न करने की सूचना भेजी जाएगी। एक बार जब चेक की धनराशि हमारे नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट हो जाती है, तो संग्रहकर्ता बैंक यानी वेल्स फ़ार्गो बैंक चेक के सामने वाले भाग पर किसी भी परिवर्तन के कारण, परवर्ती तारीख में हमारे खाते से डेबिट नहीं कर सकता है या चेक की धनराशि की वापसी का दावा नहीं कर सकता है।

यह प्रस्तावित है कि अंतिम क्रेडिट सेवा के तहत 2,001 अमेरिकी डॉलर से 250,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य के चेक संसाधित किए जाएंगे।

ग्राहक के विशेष अनुरोध पर, 2,000 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य के चेक को लागू शुल्क के भुगतान के अधीन अंतिम क्रेडिट सेवा के तहत भी संसाधित किया जा सकता है।

हमारे नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट होने पर, दिए गए अनुदेशों के अनुसार, धनराशि तुरंत खाताधारक के खाते में क्रेडिट की जा सकती है।

अमेरिका में चेक के भुगतान के स्थान के आधार पर, आमतौर पर इस व्यवस्था के तहत चेक की वसूली की अवधि वेल्स फ़ार्गो बैंक द्वारा लिखत की प्राप्ति की तारीख से 10 से 20 दिनों के बीच होती है।

वेल्स फ़ार्गो बैंक की यह सेवा निम्नलिखित तालिका के अनुसार, उपर्युक्त बैंक को शुल्क के भुगतान के अधीन उपलब्ध है:

सेवा	प्रशुल्क
दायित्व रहित अंतिम क्रेडिट सेवा (2001 अमेरिकी डॉलर से 250,000अमेरिकी डॉलर)	प्रति लिखत 30 अमेरिकी डॉलर
वापस किये गए लिखत	प्रति लिखत 30 अमेरिकी डॉलर और यदि आवश्यक हो तो कूरियर

250,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक के अत्यधिक मूल्य के चेक और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा किसी अन्य पर आहरित अमेरिकी डॉलर चेक को केवल संग्रह के तहत संभाला जाएगा और शाखाएं/कार्यालय ऐसे चेक को सीधे संग्रह के आधार पर अदाकर्ता बैंक को या हमारे नोस्ट्रो प्रतिनिधि बैंक के माध्यम से वसूली के लिए भेज सकते हैं। आम तौर पर संग्रह सेवाएं स्पष्ट धनराशि की प्राप्ति सुनिश्चित करती हैं यानी वापसी का जोखिम लगभग समाप्त हो जाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। तथापि, इसमें अधिक समय लग सकता है और अदाकर्ता/ वसूलीकर्ता बैंक शुल्क अनिश्चित/अत्यधिक हो सकता है।

वसूली योग्य लिखत के समाशोधन हेतु आमतौर पर 30 से 60 दिन लगते हैं, और कभी-कभी तो 90 दिन तक का समय भी लग जाता है।

iv. **मुआवजा**

विदेश में/भारत में देय विदेशी मुद्रा लिखतों की आगम को क्रेडिट करने और संग्रह के आधार पर प्रेषित करने में विलंब के लिए ग्राहकों को मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह के मुआवजे का भुगतान विभिन्न संव्यवहारों हेतु निर्धारित अवधि से अधिक विलंब के लिए एनआरआई ग्राहकों के संबंध में एनआरई बचत बैंक खातों और निवासी ग्राहकों के मामले में घरेलू बचत बैंक खातों पर लागू ब्याज दर के अनुसार किया जाएगा।

मोटे तौर पर, चेक का संग्रह दो प्रकार का होता है। एक दायित्व सहित (पहले पैराग्राफ में उल्लिखित कारणों के लिए चेक को विराम अवधि के पश्चात भी वापस किया जा सकता है) और दूसरा दायित्व रहित (चेक को संग्रह के आधार पर संसाधित किया जाता है और शुल्क का भुगतान करने पर चेक की वसूली के बाद ही आगम हमारे नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट की जाती है)। इसलिए, संग्रह की अवधि भी तदनुसार बदलती रहती है और अतः वह अवधि जिसके बाद मुआवजा देय होगा, वह निम्नानुसार है:

	दायित्व सहित नकद पत्र	दायित्व रहित अंतिम क्रेडिट
अमेरिकी डॉलर चेक संयुक्त राज्य अमेरिका में देय	हमारे नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट की तारीख से 21 कार्य दिवस	संयुक्त राज्य अमेरिका में चेक प्राप्त होने की तारीख से 20 कार्य दिवस

Confidential

12.2. अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के चेकों का संग्रह

ए. नकद पत्र सेवा

नकद पत्र सेवा के तहत, अंतिम भुगतान के अधीन, चेक तत्काल क्रेडिट के लिए भेजे जाते हैं। पासशीट क्रेडिट (हमारे बैंक के आदाता के खाते में क्रेडिट) लागू करने के लिए सामान्य अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं के लिए 21 व्यावसायिक दिन है, क्योंकि उस अवधि के भीतर चेक वापस आने की संभावना होती है। कुछ अपवाद हैं, जिनमें वापसी के विभिन्न कारणों जैसे एन्कोडिंग त्रुटि, गलत मुद्रा, समाशोधन हेतु पात्र नहीं, इच्छित आदाता को भुगतान नहीं किया गया या तात्विक परिवर्तन आदि के आधार पर लंबी प्रतीक्षा अवधि यानी 1 वर्ष तक हो सकती है।

बी. अंतिम संग्रह सेवा/ निर्बंध संग्रह

अंतिम संग्रह के तहत, अंतिम संग्रह के आधार पर समाशोधन के निर्देशों के साथ लिखत /चेक भेजे जाते हैं। अंतिम संग्रह के तहत प्राप्त चेक की आगम भुगतानकर्ता बैंक से भुगतान प्राप्त होने के बाद ही हमारे नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट की जाएगी।

अंतिम संग्रह के तहत भेजे गए चेक की वसूली में आम तौर पर लगभग 30 - 45 दिन लगेंगे, और शुल्क लगभग 50 अमेरिकी डॉलर या उसके समतुल्य प्रति लिखत होने की संभावना है।

अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं जैसे एयूडी, सीएडी, ईयूआर, सीएचएफ, एसजीडी और जीबीपी में नकद पत्र और अंतिम संग्रह सेवाओं के संबंध में समेकित दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

12.2.1 <u>कैनेडियन डॉलर (सीएडी)</u>

ए. नकद पत्र सेवा (सीएलएस)

नकद पत्रों में किसी भी कैनेडियन वित्तीय संस्थान पर आहरित कैनेडियन डॉलर चेक शामिल हो सकते हैं।

सीएलएस के तहत, शाखाओं/कार्यालयों को यह ध्यान रखना होगा कि कनाडा में आहारित सभी सीएडी लिखतों के साथ बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल का "नकद पत्रों हेतु संक्षिप्त क्रेडिट" फॉर्म होना चाहिए और इसे एक सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित को संबोधित करते हुए भेजा जाना चाहिए:

बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल (बीएमओ)
कॉर्पोरेट एवं वाणिज्यिक बैंकिंग परिचालन
भुगतान सेवा समूह, प्रतिनिधि बैंकिंग परिचालन
2465 अर्जेंटीना रोड, मिसिसॉगा ओंटारियो
एल5एन 0बी4 कनाडा
ईमेल: cbs.dept@bmo.com; bmocmificlientservices.support@bmo.com;

शाखाओं/कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाशोधन अनुसूची पर स्पष्ट रूप से बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल में रखे गए नोस्ट्रो खाता संख्या 31691035502 में आगम क्रेडिट किए जाने का अनुदेश किया गया हो।

नोट:

i. हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, कि सभी चेक विशेष रूप से बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, प्रतिनिधि बैंकिंग सेवाएं, बर्लिंगटन, ओन्टारियो (जैसा कि बीएमओ द्वारा अनुशंसित) के आदेश का समर्थन किया जाए।
ii. शाखाओं/कार्यालयों को नकद पत्र के तहत भेजे गए चेक की फोटोकॉपी (आगे और पीछे का पृष्ठ) रखनी चाहिए, जिसका उपयोग चेक परेषण में गुम हो जाने पर ग्राहक क्षतिपूर्ति द्वारा समर्थित हमारे बैंक की गारंटी के तहत वसूली हेतु किया जा सकता है।

Confidential

स्वीकार्य फोटोकॉपी प्राप्त होने पर, बीएमओ पात्र चेकों की फोटोकॉपी की कुल धनराशि तुरंत हमारे खाते में क्रेडिट करेगा।

iii. मनी ऑर्डर नकद पत्रों के अंतर्गत रखरखाव हेतु अपात्र हैं और उन्हें निर्बंध संग्रह (अंतिम भुगतान) के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

iv. बीएमओ नकद पत्र जमा के लिए ट्रैवलर्स चेक स्वीकार नहीं करेगा।

v. अगर वे हमारे कार्यालय और ओंटारियो स्थित उनके कार्यालय के बीच परेषण में गुम हो जाते हैं, चाहे सुपुर्दगी का कोई भी तरीका इस्तेमाल किए जाने की स्थिति में बीएमओ किसी भी नकद पत्र या व्यक्तिगत मदों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। हमारे नकद पत्रों के लिए बीएमओ की जिम्मेदारी ओंटारियो स्थित उनके कार्यालय में सीलबंद लिफाफे या पैकेज प्राप्त होने से शुरू होती है।

vi. आहर्ता बैंक द्वारा अदत्त वापस की गई कोई भी मद / लिखत स्वचालित रूप से बीएमओ में अनुरक्षित हमारे खाते में डेबिट हो जाएगा और वापस कर दिया जाएगा। बीएमओ भुगतान न करने के कारणों को बताते हुए 1000 सीएडी से अधिक के किसी भी अवैतनिक मदों के बारे में स्वीफ्ट द्वारा सूचना देगा। यदि इसे आहर्ता बैंक को फिर से प्रस्तुत किया जाना है तो एक बार वापस किए गए चेक को अंतिम संग्रह के तहत संभाला जाना चाहिए।

vii. मदों की वापसी (जाली पृष्ठांकन, परिवर्तन, नकली हस्ताक्षर, अपर्याप्त धनराशि के कारण सहित) कनाडाई कानून और कनाडाई भुगतान नियमों के अधीन है।

viii. बीएमओ सभी वापस की गई या अदत्त मदों (चाहे बीएमओ या अन्य वित्तीय संस्थानों पर आहरित की गई हों) की धनराशि को हमारे खाते से डेबिट/ प्रभारित करेगा।

ix. बीएमओ किसी भी प्रकार से वापस की गई या अदत्त मदों के लिए अन्य वित्तीय संस्थान से प्रतिपूर्ति मांगने हेतु उत्तरदायी नहीं है और न ही उसे ऐसा करने की आवश्यकता है, चाहे अन्य वित्तीय संस्थान ने समाशोधन नियमों का अनुपालन किया हो या नहीं।

बी. निर्बंध संग्रह और विशेष मदें

जिन मदों को विशेष रूप से देख रेख करने की आवश्यकता होती है, या जो विशेष अनुदेशों के अधीन होती हैं, जैसे कि भुगतान न करने पर सविरोध के लिए अनुरोध, उन्हें नकद पत्र में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इन मदों को संग्रह के लिए निर्बंध संग्रह के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

"निर्बंध संग्रह" भुगतान प्रलेखों के मूल्य का संग्रह है और मूल्य प्राप्त होने पर हमारे नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट करना है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रकाशित संग्रह हेतु समान नियमों के अनुसार अनुरक्षित किया जाता है।

यदि कोई निर्बंध संग्रह लिखत या कोई चेक है जो विशेष अनुदेशों के अधीन है, तो उन्हें एक अलग सीलबंद लिफाफे या पैकेज में रखा जाना चाहिए और निम्नलिखित को संबोधित करते हुए भेजा जाना चाहिए:

बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल (बीएमओ)
कॉर्पोरेट एवं वाणिज्यिक बैंकिंग परिचालन
भुगतान सेवा समूह, प्रतिनिधि बैंकिंग परिचालन
2465 अर्जेंटीना रोड, मिसिसॉगा ओंटारियो
एल5एन 0बी4 कनाडा
ईमेल: direct.collections@bmo.com;

नोट:

i.बीएमओ संग्रह हेतु ट्रैवलर्स चेक स्वीकार नहीं करेगा।

ii.जब भी हमारी शाखा/कार्यालय बीएमओ की घरेलू शाखा या किसी अन्य कनाडाई वित्तीय संस्थान पर आहरित चेक प्रस्तुत करता है, तो उस लिखत को संग्रह के तहत संभाला जाएगा और प्रतिपूर्ति निर्देशों के साथ उनकी स्थानीय शाखा/कार्यालय को भेजा जाएगा। बीएमओ धनराशि प्राप्त होने पर, सेवा शुल्क को घटाकर हमारे नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट करेगा।

iii.शाखाओं/कार्यालयों द्वारा लिखतों की फोटोकॉपी अपने पास अनुरक्षित करनी चाहिए।लागू प्रभार:

मद	सीएडी में
नकद पत्र नकद पत्र जमा (एन्कोडेड) नकद पत्र जमा (अन-एनकोडेड) जमा किया गया चेक (नकद पत्र की मदें) एनकोडेड नकद पत्र फॉर्म की मांग वापस किए गए चेक वापस की गई मदों हेतु स्वीफ्ट सूचना	 6 16.50 0.40 शून्य $25 10
निबंध चेक संग्रह 250 सीएडी तक की मदें 250 सीएडी से अधिक की मदें	 15 0.125% (न्यूनतम 30 और अधिकतम 300)

सूचना /पूछताछ सहायता:

विभाग	पता
नकद पत्र जांच डेस्क	बैंक आफ मॉन्ट्रियल (बीएमओ) कॉर्पोरेट एवं वाणिज्यिक बैंकिंग परिचालन भुगतान सेवा समूह, प्रतिनिधि बैंकिंग परिचालन 2465 अर्जेंटीना रोड, मिसिसॉगा ओंटारियो एल 5 एन 0बी4 कनाडा cbs.dept@bmo.com स्वीफ्ट: बीओएफ़एमसीएटी2 दूरभाष : +1-905-633-5230/32
निबंध चेक संग्रह	बैंक आफ मॉन्ट्रियल (बीएमओ) कॉर्पोरेट एवं वाणिज्यिक बैंकिंग परिचालन भुगतान सेवा समूह, प्रतिनिधि बैंकिंग परिचालन 2465 अर्जेंटीना रोड, मिसिसॉगा ओंटारियो एल5एन 0बी4 कनाडा direct.collections@bmo.com स्वीफ्ट: बीओएफ़एमसीएएम2 दूरभाष: +1-416-598-6142

12.2.2. **<u>यूरो (ईयूआर)</u>**

नकद पत्र व्यवस्था के तहत, यूरो मुद्रा में जारी चेकों के संग्रह हेतु चेक निम्नलिखित पते पर भेजे जाने चाहिए:

बार्कलेज बैंक पीएलसी लंदन
अंतर्राष्ट्रीय चेक परिचालन
बार्कलेज हाउस, फ़्लोर 4बी
1 विंबोर्न रोड, पूल, डोरसेट बीएच15 2बीबी
यूनाइटेड किंगडम
ईमेल:cheques.team.csd@barclayscorp.com;
xrabarclaysservicefiasia@barclays.com;

Confidential

शाखाओं/कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाशोधन अनुसूची पर अनुदेश में स्पष्ट रूप से बार्कलेज बैंक में अनुरक्षित हमारे बैंक के नोस्ट्रो खाता संख्या डीई0210162100 का उल्लेख हो, जिसमें आगम क्रेडिट किया जाना है।

यूनाइटेड किंगडम चेक समाशोधन सेवा (यूकेसीसीएस) के लिए पात्र मदें –नकद पत्र सेवा

यूनाइटेड किंगडम चेक समाशोधन सेवा के तहत, बार्कलेज यूके में स्थित अधिकृत बैंकिंग संस्थानों पर आहरित जीबीपी और ईयूआर मदों को प्राप्त करने और संसाधित करने हेतु सेवा प्रदान करेगा।

वैश्विक चेक समाशोधन सेवा (जीसीसीएस) के लिए पात्र मदें –नकद पत्र सेवा

वैश्विक चेक समाशोधन सेवा के तहत, बार्कलेज निम्न सूचीबद्ध देशों में स्थित अधिकृत बैंकिंग संस्थानों पर आहरित 'राष्ट्रीय मुद्रा' मदें प्राप्त करने और संसाधित करने हेतु सेवा प्रदान करेगा। यह सूची समय-समय पर परिवर्तित हो सकती है।

वह देश जिस पर मदें आहरित की गई हैं	नकद पत्र सेवा हेतु स्वीकृत मदों की मुद्राएँ
ऑस्ट्रिया	ईयूआर
बेल्जियम	ईयूआर
फिनलैंड	ईयूआर
फ्रांस	ईयूआर
जर्मनी	ईयूआर
आयरलैंड	ईयूआर
इटली	ईयूआर
लक्ज़मबर्ग	ईयूआर
नीदरलैंड	ईयूआर
पुर्तगाल	ईयूआर
स्पेन	ईयूआर

नकद पत्र सेवा के तहत समाशोधन के लिए पात्र किसी भी मदों को संग्रह सेवा के तहत भी संसाधित किया जा सकता है।

निम्नलिखित में कुछ मदों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें संग्रह सेवा के तहत प्रसंस्करण हेतु बार्कलेज को प्रस्तुत किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें नकद पत्र सेवा के तहत समाशोधित नहीं किया जा सकता है:
(ए) यूनाइटेड किंगडम में जीबीपी और ईयूआर मदों के अलावा सभी मुद्राओं में आहरित मदें
(बी) कटे-फटे या विकृत मदें (जिनमें चेक आहर्ता ने चेक की मुद्रा में संशोधन किया हो)
(सी) उत्तर दिनांकित मदें
(डी) मिस- एनकोडेड की गई मदें
(ई) वे मदें जो पहले अदत्त वापस की गई हों

बार्कलेज को समाशोधन हेतु भेजे गए सभी चेकों पर प्रसंस्करण के लिए निम्नानुसार स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए:

ए. नकद पत्र: जहां बार्कलेज किसी व्यक्तिगत जमा टिकट पर उसे भेजे गए किसी भी नकद पत्र मदों हेतुग्राहक के प्रतिकूल पूर्ण दायित्व सहित मूल्य प्रदान करता है।

बी. संग्रह सेवा: जहाँ बार्कलेज कोई भी संग्रह मदों का संग्रहण करता है, जिसका मूल्य केवल तभी दिया जाएगा जब बार्कलेज को भुगतानकर्ता बैंक से निकासी निधि में भुगतान प्राप्त हो जाएगा। हमारे नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट करने से पहले मद के मूल्य से शुल्क की कटौती की जाती है।

Confidential

नोट:

i. शाखाओं/कार्यालयों द्वारा लिखतों की फोटोकॉपी अपने पास अनुरक्षित करनी चाहिए।

ii. बार्कलेज बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले सभी चेक पर पृष्ठांकन स्टाम्प लगा होना चाहिए, साथ ही बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो ग्राहक की ओर से यह गारंटी देते हैं कि चेक की राशि प्राप्तकर्ता के खाते में क्रेडिट की गई है। सही तरीके से पृष्ठांकन न किए गए चेक वापस किए जा सकते हैं।

iii. शाखाओं/कार्यालयों को ध्यान देना चाहिए कि संग्रह हेतु चेक भेजने के लिए बार्कलेज बैंक के दो अलग-अलग चेक जमा कवरिंग लेटर हैं यानी यूरो/जीबीपी मूल्यवर्ग के चेक जो यूनाइटेड किंगडम में बैंकों पर आहरित हैं और चेक जो यूनाइटेड किंगडम के बाहर आहरित हैं। नकद पत्र सेवा के तहत, यूनाइटेड किंगडम पर आहरित चेक के संग्रह हेतु शाखा/कार्यालय को "यूकेसीसीएस" नकद पत्र का उपयोग करना चाहिए और यूनाइटेड किंगडम के बाहर आहरित चेक के संग्रह हेतु "जीसीसीएस" नकद पत्र का उपयोग करना चाहिए।

iv. बार्कलेज बैंक और अन्य बैंकों के शुल्क, यदि वे इस प्रक्रिया में शामिल हैं, तो बार्कलेज बैंक की समाशोधन सेवाओं का लाभ उठाने हेतु हमारे बैंक के शुल्कों के अतिरिक्त लागू होंगे।

सूचना / पूछताछ सहायता

शाखाएँ/कार्यालय किसी भी पूछताछ हेतु उपरोक्त उल्लिखित ईमेल आईडी पर बार्कलेज बैंक की ग्राहक सेवा टीम से संपर्क कर सकते हैं।

12.2.3. **<u>ग्रेट ब्रिटेन पाउंड (जीबीपी)</u>**

केनरा बैंक, लंदन में व्यवस्था

शाखाएँ/कार्यालय नोट करें कि जीबीपी में आहरित सभी लिखत निम्नलिखित डाक पते पर भेजे जाएंगे:

केनरा बैंक, लंदन शाखा
पीओ बॉक्स नं. 174, ग्राउंड फ्लोर 10
चिसवेल स्ट्रीट, लंदन - ईसी 1वाई 4यूक्यू
ईमेल: london@canaraBank.com; operationslondon@canaraBank.com;

शाखाओं/कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समाशोधन अनुसूची पर अनुदेश में स्पष्ट रूप से केनरा बैंक, लंदन में अनुरक्षित हमारे बैंक के नोस्ट्रो खाता संख्या 1120001001 का उल्लेख हो, जिसमें आगम क्रेडिट किया जाना है।

यदि चेक अदत्त वापस आ जाता है, तो भुगतान किए गए चेक की आगम से शुल्क की कटौती की जाएगी या हमारे नोस्ट्रो खाते में डेबिट किया जाएगा। सभी अन्य पार्टी शुल्क भी हमारे बैंक को दिए जाएँगे।

शाखाओं / कार्यालयों द्वारा लिखतों की फोटोकॉपी अपने पास अनुरक्षित करनी

चाहिए।बार्कलेज बैंक पीएलसी में व्यवस्था

शाखाएं/कार्यालय नोट करें कि जीबीपी में आहरित सभी नकद पत्र और निर्बंध संग्रह लिखत निम्नलिखित डाक पते पर भेजे जाएंगे:

बार्कलेज बैंक पीएलसी लंदन
अंतर्राष्ट्रीय चेक परिचालन
बार्कलेज हाउस, फ़्लोर 4बी
1 विंबोर्न रोड, पूल, डोरसेट बीएच15 2बीबी
यूनाइटेड किंगडम
ईमेल:cheques.team.csd@barclayscorp.com
xrabarclaysservicefiasia@barclays.com

शाखाओं / कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाशोधन अनुसूची पर अनुदेश में स्पष्ट रूप से बार्कलेज बैंक पीएलसी लंदन में अनुरक्षित हमारे बैंक के नोस्ट्रो खाता संख्या 03879453 का उल्लेख हो, जिसमें आगम क्रेडिट किया जाना है।

बार्कलेज यूरो समाशोधन हेतु उपरोक्त उल्लिखित सभी अन्य सेवा शर्तें बार्कलेज जीबीपी समाशोधन के लिए भी लागू होंगी।

12.2.4. **<u>सिंगापुर डॉलर (एसजीडी)</u>**

शाखाएँ/कार्यालय नोट करें कि सभी नकद पत्र और एसजीडी में आहरित निर्बंध संग्रह लिखत निम्नलिखित डाक पते पर भेजे जाएंगे:

ओवरसी -चाइनीज बैंकिंग कॉर्पोरेशन
लिमिटेड
भुगतान परिचालन- समाशोधन
31 टैम्पाइन्स एवेन्यू 4
हेक्स03-00 ओसीबीसी टैम्पाइन्स सेंटर टू
सिंगापुर 529680

शाखाओं/कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाशोधन अनुसूची पर अनुदेश में स्पष्ट रूप से ओवरसीज-चाइनीज बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अनुरक्षित हमारे बैंक के नोस्ट्रो खाता संख्या 501071575001 का उल्लेख हो, जिसमें आगम क्रेडिट किया जाना है।

शाखाओं / कार्यालयों द्वारा लिखतों की फोटोकॉपी अपने पास अनुरक्षित करनी चाहिए।

वापस किए गए चेक:

ओसीबीसी हमारे बैंक को स्वीफ्ट के माध्यम से सूचित करेगा यदि समाशोधन के लिए भेजा गया चेक भुगतानकर्ता बैंक द्वारा अदत्त वापस किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ओसीबीसी रजिस्टर्ड मेल द्वारा हमारे बैंक को वापस की गई मद से संबंधित इमेज रिटर्न डॉक्यूमेंट (आईआरडी)भेजेगा। सिंगापुर में चेक समाशोधन के लिए उपयोग किए जाने वाले चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) के तहत, वापस किए गए चेक मद को इमेज रिटर्न डॉक्यूमेंट (आईआरडी) से बदल दिया जाएगा। मूल भौतिक चेक जमाकर्ता को वापस नहीं किया जाता है। आईआरडी सिंगापुर बिल्स ऑफ़ एक्सचेंज एक्ट द्वारा शासित है और पुनः प्रस्तुति के उद्देश्य हेतु एक कानूनी निविदा है।

यदि हमारी शाखाएँ/कार्यालय चेक को समाशोधन हेतु पुनः प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आईआरडी ओसीबीसी (अर्थात मूल प्रस्तुतकर्ता बैंक) को भेजना होगा। सिंगापुर स्वचालित समाशोधन गृह द्वारा निर्धारित पुनः प्रस्तुति के लिए अन्य शर्तें लागू होंगी।

लागू शुल्क:

मद	एसजीडी में
जावक समाशोधन	
जमा किए गए चेक	2
वापस किए गए चेक (आवक वापसी)	50
आवक समाशोधन	
निर्गत चेक	1
भुगतान रोकना	30
वापस किए गए चेक (जावक वापसी)	50

सभी अन्य पार्टी शुल्क भी हमारे बैंक को दिए जाएँगे।

यदि चेक अदत्त वापस आ जाता है, तो भुगतान किए गए चेक की आगम से शुल्क की कटौती की जाएगी या हमारे नोस्ट्रो खाते में डेबिट किया जाएगा।

शाखाएँ/कार्यालय किसी भी जानकारी के लिए निम्नलिखित दूरभाष संख्या /ईमेल आईडी पर ओवरसी-चाइनीज बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिंगापुर के ग्राहक सेवा टीम से संपर्क कर सकते हैं:

ओवरसीज-चाइनीज बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 65 चूलिया स्ट्रीट, #13-00 ओसीबीसी सेंटर
सिंगापुर 049513 ईमेल firateam1@ocbc.com;
दूरभाष: +65 6890 3912

<u>शाखाओं के लिए सामान्य निर्देश:</u>

1. शाखाएँ /कार्यालयनोट करें कि उपरोक्त उल्लिखित विभिन्न मुद्राओं के लिए विदेशी मुद्रा चेक या तो नकद पत्र सेवाओं या निर्बंध संग्रह सेवाओं के तहत संग्रहण किए जा सकते हैं। निर्बंध संग्रह सेवा के तहत प्राप्त भुगतान अंतिम भुगतान के आधार पर होता है, जबकि नकद पत्र के तहत, चेक को विराम अवधि के बाद भी प्रतिनिधि बैंकों द्वारा वापस किया जा सकता है।

2. कृपया नोट करें कि नकद पत्र सेवाओं के अंतर्गत भेजे गए चेक के लिए प्रतीक्षा अवधि निम्नानुसार है।

यूनाइटेड किंगडम में देय जीबीपी लिखत	मूल्य तिथि से 10 कारोबारी दिन
जर्मनी/इटली/फ्रांस/नीदरलैंड में देय यूरो लिखत	मूल्य तिथि से 21 कारोबारी दिन
अन्य सभी मुद्राओं में लिखत, उन केन्द्रों पर देय होंगे जिनकी घरेलू मुद्रा लिखत की मुद्रा है।	मूल्य तिथि से 22 दिन

3. अन्य देशों में आहरित यूरो चेक को केवल 'संग्रह आधार पर ही सम्पन्न किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, एयूडी, सीएडी, सीएचएफ, जीबीपी और एसजीडी मुद्राओं के चेक जो घरेलू मुद्रा देश या आहर्ता केंद्र की मुद्रा के अलावा अन्य मुद्रा पर आहरित है, उन्हें केवल संग्रह आधार पर ही संभाला जाना चाहिए।

4. शाखाओं/कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि चेक के साथ खाताधारक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित विशेष रूप से तैयार की गई भुगतान पर्ची संलग्न हो।

5. अमरीकी डॉलर नकद पत्र सेवा प्रणाली से भिन्न, अन्य क्षेत्रों (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम) में बैंक निर्दिष्ट अवधि के बाद 'कोई वापसी नहीं-गारंटी भुगतान' स्वीकार नहीं करता हैं। इसलिए यूरो के मामले में 5000 यूरो से अधिक और अन्य मुद्रा (अर्थात एयूडी, सीएडी, सीएचएफ, एसजीडी और जीबीपी) के मामले में 5,000 अमरीकी डॉलर या इसके समतुल्य से अधिक के चेक, जो स्वदेश में आहरित किए गए हों, उन्हें 'नकद पत्र सेवा' के तहत नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें केवल संग्रह आधार पर ही सम्पन्न किया जाना चाहिए। प्रारंभिक मूल्य (5000 यूरो/5000 अमरीकी डॉलर या इसके समतुल्य) से कम के चेक के मामले में, शाखाओं/कार्यालयों को विदेशी मुद्रा प्रेषण पर अनुदेश पुस्तिका में उल्लिखित संबंधित वचनपत्र प्राप्त करने के अतिरिक्त ग्राहक के प्रति आवश्यक समुचित सावधानी बरतनी चाहिए।

6. संग्रह के मामले में निर्धारित शुल्कों के अतिरिक्त, आहर्ता बैंक के शुल्क स्वतंत्र होते हैं, जो लिखतों की प्राप्ति/अस्वीकृति तक पता नहीं चलते हैं। इसे लिखत के प्रस्तुतकर्ता को सूचित किया जा सकता है तथा यदि आवश्यक हो, तो परवर्ती तारीख में ग्राहकों की शिकायतों से बचने हेतु उपयुक्त वचन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

7. गुम हुए चेक के मामले में, प्रतिनिधि बैंक सामान्यतः संग्रह या उगाही अनुरोधों को, लिखत की फोटोकॉपी/ इमेज (आगे और पीछे के पृष्ठ) के साथ नकद पत्र अनुसूची और उनके द्वारा विनिर्दिष्ट स्विफ्ट/पत्र के माध्यम से क्षतिपूर्ति के आधार पर संसाधित करते हैं।

8. सभी बैंक पेपर्स को तिथि के अनुसार एक अलग फाइल में रखा जाना चाहिए, जिसे हमारे आंतरिक निरीक्षक/ भा.रि. बैंक के निरीक्षकों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।

9. हमारी सभी शाखाओं और वैश्विक व्यापार प्रसंस्करण केंद्र को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें और इस नीति की सामग्री को ग्राहक के संज्ञान में लाएँ ताकि सामान्य तौर पर चेक की उगाही और विशिष्ट शुल्कों की वसूली में लगने वाले समय के बारे में बाद की तारीख में शिकायतों से बचा जा सके।

अमरीकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं के लिए संग्रहण अवधि	दायित्व के साथ नकद पत्र	दायित्व रहित संग्रह
देश की मुद्रा में देय चेक	31 कार्य दिवस	31 कार्य दिवस
देश की मुद्रा के अलावा अन्य मुद्रा में देश में देय चेक	45 कार्य दिवस	51 कार्य दिवस

12.3. **तत्काल क्रेडिट**:

ग्राहक के संतोषजनक पिछले कार्य-निष्पादन रिकॉर्ड के अधीन, यूएसडी, जीबीपी और यूरो मूल्यवर्ग में 10000 अमेरिकी डॉलर के समतुल्य तक के निर्बंध लिखतों के लिए पास शीट क्रेडिट दृश्यमान होने पर, विराम अवधि पूरी किए बिना, ग्राहक के खाते में तत्काल क्रेडिट दिया जा सकता है। विस्तृत दिशानिर्देश और शक्तियों का प्रत्यायोजन आवक प्रेषण पर अनुदेश पुस्तिका में उपलब्ध हैं।

13. **पॉजिटिव पे**:
(प्रौद्योगिकी परिचालन वर्टिकल द्वारा निगरानी)

पॉजिटिव पे प्रणाली को भा.रि. बैंक द्वारा चेक समाशोधन में प्रभावी धोखाधड़ी रोकथाम साधनों में से एक के रूप में शुरू किया गया है और बैंक ने इसे दिनांक 01.01.2021 से लागू किया है।

पॉजिटिव पे प्रणाली ग्राहकों द्वारा अदाकर्ता बैंक को जारी किए गए अत्यधिक मूल्य के चेक के मुख्य विवरण की पुनः पुष्टि करने की एक प्रक्रिया है। पॉजिटिव पे प्रणाली ग्राहकों को जारी किए जा रहे 50000/- रुपये से अधिक के चेक के आवश्यक विवरण साझा करके चेक संबंधी धोखाधड़ी को कम करने/ उससे बचने में सक्षम बनाती है। यह सुविधा 50,000/- रुपये और उससे अधिक की धनराशि के चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए सक्षम किया गया है।

पीपीएस का विकल्प देने वाले ग्राहकों को चेक जारी होने के तुरंत बाद चेक और खाते का विवरण भुगतानकर्ता बैंक को देना होगा -

- खाता संख्या
- लाभार्थी/आदाता का नाम
- चेक नंबर और जारी करने की तारीख
- धनराशि
- एमआईसीआर कोड

ग्राहक चेक के उपरोक्त विवरण को शाखा में या स्वयं निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से पंजीकृत कर सकता है:

- मोबाइल बैंकिंग
- इंटरनेट बैंकिंग
- कॉल सेंटर
- एसएमएस बैंकिंग

14. **अपरिहार्य घटना**:

बैंक किसी अपरिहार्य घटना (जिसमें नागरिक दंगे, तोड़फोड़, तालाबंदी, हड़ताल और अन्य श्रमिक उपद्रव, दुर्घटनाएं, आग, प्राकृतिक आपदाएं या अन्य "दैवीय कृत्य", युद्ध,बैंक या उसके प्रतिनिधि बैंक की सुविधाओं को नुकसान शामिल हैं) ,संचार के सामान्य साधनों या सभी प्रकार के परिवहन आदि की अनुपस्थिति, जो बैंक के नियंत्रण से परे है,उसे निर्दिष्ट सेवा वितरण मापदंडों के भीतर अपने दायित्व को पूरा करने से रोकता है,के कारण विलंबित क्रेडिट के लिए ग्राहकों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

अध्याय ॥

अपर्याप्त निधि के कारण आवक चेक/ईसीएस अधिदेश को अस्वीकार करना

ए. उद्देश्य:

ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए, चेक बुक सुविधा वाले खातों के परिचालन हेतु, आवक चेक के अस्वीकार होने और 'अपर्याप्त निधि' के कारण ईसीएस अधिदेश के अस्वीकार होने की स्थिति में, निम्नलिखित दिशानिर्देश लागू हैं:

बी. रिपोर्टिंग संरचना/आवश्यकताएँ:

1. **"अपर्याप्त निधि" के कारण** 1 **करोड़ रुपये से कम मूल्य के आवक चेक और ईसीएस अधिदेश को अस्वीकार करना**:

- यदि वित्तीय वर्ष के दौरान चेक जारीकर्ता के किसी विशेष खाते में **पांचवीं** बार अपर्याप्त निधि के कारण चेक अस्वीकार हो जाता है, तो संबंधित ग्राहक को एक चेतावनी सूचना जारी की जाएगी, तथा वित्तीय वर्ष के दौरान एक ही खाते में छठी बार अपर्याप्त निधि के कारण आवक चेक अस्वीकार होने की स्थिति में,उक्त स्थिति के बारे में ध्यान आकर्षित करने और परिणामस्वरूप चेक सुविधा के रोकने की सूचना जारी की जाएगी। ऐसे किसी भी खाते को बंद करने से पहले इसी तरह की चेतावनी जारी की जाएगी।

- वित्तीय वर्ष के दौरान **छह** बार 1करोड़ रुपये से कम मूल्य के चेक का अस्वीकार होने पर चेक बुक सुविधा बंद हो जाएगी और खाता बंद हो जाएगा।
- यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आहर्ता के किसी विशेष खाते में **तीसरी** बार अपर्याप्त निधि के कारण ईसीएस अधिदेश को अस्वीकार किया जाता है, तो संबंधित ग्राहक को एक चेतावनी सूचना जारी की जाएगी, तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उसी खाते में चौथी बार अपर्याप्त निधि के कारण ईसीएस अधिदेश का अस्वीकार होने की स्थिति में उक्त स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने और परिणामस्वरूप चेक सुविधा के रोकने की सूचना जारी की जाएगी।
- यदि वित्तीय वर्ष के दौरान **चार**बार अपर्याप्त निधि के कारण ईसीएस अधिदेश को अस्वीकार किया जाता है, तो बैंक खाता बंद करने के लिए बाध्य होगा। इस आशय की एक चेतावनी सूचना खाताधारक को दी जाएगी।
- बैंक के पास मामलेके आधार पर उपरोक्त शर्त में छूट देने का विवेकाधिकार है।
- अपर्याप्त निधि के कारण चेक की वापसी/विफल ईसीएस लेनदेन का डेटा क्रेडिट प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जाएगा और क्रेडिट निर्णय लेते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा।
- निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट किए गए मामलों की बैंक द्वारा समय-समय पर निगरानी और समीक्षा की जाएगी और जहां भी आवश्यक हो, दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाएगा।

2. **"अपर्याप्त निधि" के कारण** 1 **करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य के चेक और स्टॉक एक्सचेंज के पक्ष में किसी भी राशि के चेक को अस्वीकार करना**:

- यदि वित्तीय वर्ष के दौरान चेक जारीकर्ता के किसी विशेष खाते में **तीसरी** बार अपर्याप्त निधि के कारण चेक अस्वीकार हो जाता है, तो संबंधित ग्राहक को एक चेतावनी सूचना जारी की जाएगी, तथा वित्तीय वर्ष के दौरान एक ही खाते में **चौथी** बार अपर्याप्त निधि के कारण चेक अस्वीकार होने की स्थिति में,उक्त स्थिति के बारे में ध्यान आकर्षित करने और परिणामस्वरूप चेक सुविधा के रोकने की सूचना जारी की जाएगी। ऐसे खाते को बंद करने से पहले इसी तरह की चेतावनी दी जाएगी।
- वित्तीय वर्ष के दौरान **चार**बार1 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के अपर्याप्त निधि के कारण चेक के अस्वीकार होने के मामले में और किसी भी धनराशि के स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में चेक के मामले में, कोई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी और बैंक अपने विवेकाधिकार पर चालू खातों को बंद करने पर विचार कर सकता है।

तथापि, नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट जैसे अग्रिम खातों के संबंध में, इन क्रेडिट सुविधाओं को जारी रखने या न रखने की आवश्यकता और इन खातों से संबंधित चेक सुविधाओं की समीक्षा मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के अलावा उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

- ऐसे खातों के लिए नई चेक बुक जारी करते समय, बैंक पत्र जारी कर नई शर्त के बारे में ग्राहकों को सूचना दे सकता है।
- "अपर्याप्त निधि" के कारण किसी भी धनराशि के स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में आवक चेक के अस्वीकार होने की सूचना शाखाओं द्वारा समय-समय पर नियंत्रक कार्यालय को दी जाएगी। स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में आहरित किए गए चेक और अपर्याप्त निधि के कारण अस्वीकार किए गए चेक के संबंध में डेटा को ब्रोकर संस्थाओं से संबंधित अपने एमआईएस के एक भाग के रूप में, ऐसे चेक का कोई भी मूल्य होने पर बैंक द्वारा अलग से समेकित किया जाएगा, और उनके नियंत्रण कार्यालय को सूचित किया जाएगा।

सी. <u>उद्देश्यों को पूरा करने हेतु रणनीतियाँ</u>:

<u>सामान्य</u>:

1. भुगतानकर्ता बैंक को स्टॉक एक्सचेंजों के लेन-देन के निपटान से संबंधित अपर्याप्त निधि के कारण अस्वीकार किए गए सभी चेकों को वापस कर देना चाहिए, जो समाशोधन गृह के माध्यम से बैंकर्स समाशोधन गृह हेतु एकसमान विनियमन एवं नियमों के संदर्भ में संबंधित समाशोधन गृह के लिए निर्धारित वापसी अनुशासन के अनुसार सख्ती से प्रस्तुत किए गए हों। अपर्याप्त निधि के कारण ऐसे अस्वीकार किए गए चेक की प्राप्ति पर संग्रहणकर्ता बैंक को इसे भुगतानकर्ताओं/धारकों को तुरंत भेजना/वितरित करना चाहिए।

2. उस बैंक के दो खातों के बीच अंतरण के माध्यम से लेनदेन के निपटान हेतु भुगतानकर्ता बैंक को सीधे प्रस्तुत किए गए चेक के संबंध में, उसे भुगतानकर्ता/धारकों को अपर्याप्त निधि के कारण ऐसे अस्वीकार किए गए चेक तुरंत वापस कर देना चाहिए।

Confidential

3. सभी खातों के संबंध में अपर्याप्त निधि के कारण अस्वीकार किए गए चेक बिना किसी विलंब के, किसी भी स्थिति में 24 घंटे के भीतर ग्राहकों को वापस किए जाने चाहिए/भेज दिए जाने चाहिए, साथ ही एक मेमो भेजा जाना चाहिए जिसमें 'अपर्याप्त निधि' के कारण अस्वीकार होने का कारण बताया गया हो।
4. किसी न्यायालय, उपभोक्ता मंच या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अस्वीकार किए गए आवक चेक से संबंधित किसी भी कार्यवाही में शिकायतकर्ता (अर्थात्, अस्वीकार किए गए चेक के प्राप्तकर्ता/धारक) की ओर से अपर्याप्त निधि के कारण आवक चेक के अस्वीकार करने के तथ्य को साबित करने हेतु साक्ष्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक अपर्याप्त निधि के कारण आवक चेक के अस्वीकार करने के तथ्य का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने में पूर्ण सहयोग देगा।
5. शाखा प्रमुख चेक बुक जारी करने को रोकने/खाता बंद करने का निर्णय लेगा और पार्टियों को मंजूर की गई सीमा के मामले में वह समुचित मंजूरीकर्ता /समीक्षा प्राधिकारी के परामर्श से निर्णय लेगा।
6. चूंकि आवक चेक एलपीसी/सीपीसी द्वारा संभाले जाते हैं, अधिकांश समय शाखाओं को चेक वापसी के कारण पता नहीं चलते है जब तक कि एलपीसी/सीपीसी द्वारा उचित विवरण दर्ज नहीं किया जाता है। एलपीसी/सीपीसी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी चेक को वापस करते समय अस्पष्टता से बचने के लिए विवरण कॉलम में चेक वापस करने का स्पष्ट और उचित कारण दर्ज किया जाए ।
7. चेक के अस्वीकार /वापसी के मामले में, भुगतानकर्ता बैंकों को वापसी मेमो/आपत्ति पर्ची पर वापसी के कारण का कोड स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए, जिसमें यूआरआरबीसीएच (बैंकर्स समाशोधन गृहों के लिए एकसमान विनियम और नियम) के नियम 6 में निर्धारित बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षर/आद्याक्षर भी होंगे।
8. 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की धनराशि के प्रत्येक अस्वीकार किए गए चेक और चेक के किसी भी मूल्य के स्टॉक एक्सचेंज के पक्ष में आहरित चेक के संबंध में डेटा ग्राहकों और ब्रोकर संस्थाओं से संबंधित बैंक के एमआईएस के एक भाग बनाया जाएगा, और संबंधित शाखाएं ऐसे डेटा की रिपोर्ट अपने संबंधित नियंत्रक कार्यालय/ प्रधान कार्यालय को करेंगी।
9. ईसीएस अधिदेश के अस्वीकार होने के **तीन** अवसरों के बाद, ईसीएस दर्ज कराने वाले ग्राहक को सूचना/चेतावनी सूचना दी जानी चाहिए।
10. जिन ग्राहकों ने मूल शाखा में मोबाइल नंबर पंजीकृत कराया है, उन्हें "अपर्याप्त निधि" के कारण आवक चेक और ईसीएस अधिदेशों के अस्वीकार होने के संबंध में एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 (धारा 3, 65 ए और 65 बी) के तहत साक्ष्य के रूप में एसएमएस अलर्ट स्वीकार्य हैं।

Confidential

अध्याय - III

(i) नीति में संशोधन/ आशोधन:

बैंक अपने विवेकाधिकार पर, जब भी उचित समझे, इस नीति में संशोधन/ आशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तथापि, बैंक वार्षिक अंतराल पर नीति की समीक्षा करने का प्रयास करेगा।

(ii) नीतियों के कार्यान्वयन का अनुपालन/निगरानी

(ग्राहक सेवा वर्टिकल, परिचालन विभाग द्वारा निगरानी)

आरबीआईए और समवर्ती निरीक्षण के दौरान निरीक्षण विभाग द्वारा शाखाओं में नीति के कार्यान्वयन की जांच की जाएगी और विचलन की जानकारी अंचल /ग्राहक सेवा वर्टिकल, परिचालन विभाग, प्रधान कार्यालय और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को दी जाएगी।

अंचल में परिचालन अनुभाग/ग्राहक सेवा अनुभाग के पर्यवेक्षी कार्यपालक यह सुनिश्चित करें कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय नीतिगत दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय में परिचालन अनुभाग के पर्यवेक्षी कार्यपालक यह सुनिश्चित करें कि सभी शाखाएं नीतिगत दिशानिर्देशों का पालन कर रही हैं।

****

Confidential